न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— विजयेश कुमार पण्डया, आरएएस,

प्रकरण संख्या:— 11/2026 (गुण्डा एक्ट)

दायर दिनांक:— 01.05.2026

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

——————————प्रार्थी

बनाम

श्री गोविन्द पुत्र श्री जगदीश कुमावत निवासी कुलथाना थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ़

——————अप्रार्थी/गैरसायल

:—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975—:

:—निर्णय—: दिनांक:— 22 मई 2025

1—श्रीमान् कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के आदेशांक/सरिश्ता/आदेश/2010/1571—1575 दिनांक 22.12.2010 से राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरणों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को दिये जाने से हस्तगत प्रकरण में सुनवाई इस न्यायालय द्वारा की जा रही है । संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ ने हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3/2, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 विरूद्ध अप्रार्थी/गैरसायल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गैरसायल व्यक्ति बदमाश प्रवृति का होकर अवैध जुआं सट्टा खेलने का आदि है इसके विरूद्ध कोई गवाही देने की हिम्मत नही करता है । अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत 02 प्रकरण पंजीबद्ध होकर, सक्षम न्यायालय से दोषी करार जुर्माने से दण्डित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी/गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित संगीन अपराधों की इत्तला रिपोर्ट थाना हथुनिया में दर्ज होकर, प्रकरणवार नतीजा न्यायालय उनके सामने अंकित है:—

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या	अपराध अन्तर्गत धारा	तारीख दायर	[illegible]	[illegible]
280/2025	13 आर.पी.जी.ओ.	16.06.25	181/2025	[illegible]
315/2025	13 आर.पी.जी.ओ.	12.07.25	181/2025	[illegible]

प्रार्थना पत्र ताईद में प्रथम सूचना रिपोर्ट, [illegible] निर्णय की सत्यापित प्रतियाँ पेशकर, अप्रार्थी/गैरसायल के विरुद्ध [illegible] अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की [illegible]

2–मामला बाद पंजीबद्ध कर, अप्रार्थी / गैरसायल को [illegible] गैरसायल उपस्थित एवं उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

3–हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया । [illegible] गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) तथा उसके [illegible] अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति को तभी गुण्डा [illegible] राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) के [illegible] अपराध प्रमाणित हो जाता है एवं उक्त प्रमाणित अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा [illegible] सजा दी गई हो । जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरूद्व अप्रार्थी/ गैरसायल के भी 2 [illegible] अपराध किये जाने की सूचना अंकित है और प्रार्थना पत्र की पुष्टि में [illegible] द्वारा तत्सम्बन्धी आवश्यक साक्ष्य/सबुत पेश किये हैं ।

4– थानाधिकारी हथुनिया द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.04.2026 में [illegible] गैरसायल क्षेत्र विशेष में जुआ अधिनियम की गतिविधिया कर रहा है [illegible] प्रकरणों में सजा के बावजूद मे गैरसायल की गतिविधियों में कोई अंकुश नहीं [illegible] है।

5– प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा अपनी टिप्पणी दिनांक [illegible] गैरसायल का अपराध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत पाया जाना [illegible]

6–चूंकि अप्रार्थी/गैरसायल को उपर वर्णित दोनों प्रकरणों में [illegible] न्यायालय द्वारा सजा भी दी जा चुकी है ।

ऐसी स्थिति में अप्रार्थी/गैरसायल श्री गोविन्द पिता [illegible] कुलथाना जिला प्रतापगढ़ (राज.) को राजस्थान [illegible] (ख) के अनुसार ''गुण्डा'' घोषित किया जाता है और [illegible]

1. श्री गोविन्द पिता जगदीश [illegible] एक माह (30 दिवस) की अवधि के लिए [illegible]
2. उक्त छः माह की अवधि तक के लिये [illegible] (राज0) में रहने की स्वीकृति दी जाती है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:55 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त [illegible] (राज.)
सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

3. अप्रार्थी / गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि निष्कासन की अवधि में सिटी कोतवाली सलुम्बर जिला सलुम्बर के यहां साप्ताहिक उपस्थिति देगा एवं बगैर उनको सूचित किये क्षेत्र नही छोड़ेगा और ना ही जिला प्रतापगढ की सीमा में प्रवेश करेगा ।

4. निष्कासन अवधि के दौरान कोई भी तीखा अथवा तेज धार वाला अस्त्र या आयुध , कोई भी मादक मदिरा, अफीम, गांजा, चरस या भांग किसी विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु अथवा ऐरेटेड वाटर की बोतलों का उसके कब्जे में होना या उसके द्वारा उपयोग किया जाना निषेध रहेगा ।

5. किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाटबाजार, सिनेमाघर या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल जैसे– सार्वजनिक पार्क, रेस्टोरेन्ट, होटल अथवा किसी भी सरकारी भवन के समीप से विशिष्ट दूरी के भीतर उपस्थित नही होसकेगा ।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2026 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ (राज.)

(विजयेश कुमार पण्ड्या)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, प्रतापगढ़

2–श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, सलुम्बर

3–सिटी कोतवाली सलुम्बर / थानाधिकारी हथुनिया को भेजकर लेख है कि गैरसायल के जिला बदर एवं सुपुर्दगी की रिपोर्ट न्यायालय हाजा को निर्णय दिनांक से 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत करे।

4–अप्रार्थी / गैरसायल श्री गोविन्द पिता जगदीश कुमावत निवासी कुलथाना जिला प्रतापगढ़

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त ... (राज.)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijayesh Kumar Pandya
Date: 2026.05.26 10:25:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner